फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण

गोपाल लाल वगै0 बनाम कैलाश वगै0

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. नं0 ....69..../ 2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	18.06.2024	प्रार्थी / प्रार्थीगण के अभि0 ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0ए0 के तहत पेश किया है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हों। प्रार्थी / प्रार्थीगण के अभि0 को सुना गया। वक्त दौराने सुनवाई प्रार्थी / प्रार्थीगण के अभि0 ने अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया है। प्रार्थी / प्रार्थीगण के अभि0 के तर्को पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, एवं राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी / प्रार्थीगण के हक में होना प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी व अप्रार्थीगण के विरूद्व अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा अग्रिम आदेशों तक इस आशय की जारी कर पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित आराजी खसरा नम्बर 1158 / 699 रकबा 0.0300 हैक्ट्यर वाकै ग्राम खवारानीजी, तहसील जमवारामगढ में मौके की यथास्थिति बनाये रखें। यदि इस आज्ञा बाबत कोई उज हो तो नियत दिनांक 09.07.2024 को न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर पेश करें। आदेश 39 नियम 3(ए)(1)(2)(3) व 3(ब) की पालना प्रार्थी / प्रार्थीगण द्वारा की जावें। आदेश 39 नियम 3(ए)(1)(2)(3) व 3(ब) की पालना नही करने पर जारीशुदा अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निष्प्रभावी समझी जावेगी। अप्रार्थी / अप्रार्थीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड नोटिस की जावें। पत्रावली दिनांक 09.07.2024 को पेश हों। [signature] उप खण्ड अधिकारी जमवारामगढ	
	9/7/24	पत्रावली पेश हुई। [illegible] पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते ~~तलबी / जवाब~~ दिनांक 19/7/24 को पेश हो [signature]	
	12/7/24	पत्रावली में वकील प्रार्थी व प्रार्थीगण द्वारा मूल वाद को विड्रो करने पर [illegible]	[illegible] लालचन्द

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़
गोपाल लाल वगैरह बनाम कैलाश वगैरह
मु० नं० – 69/2024

- लालचन्द

- गोपाल

[illegible]
19/07/24
(राजेश अधिवक्ता)

पत्रावली को आज तलब किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पक्षकारान के मध्य राजीनामा होने से पत्रावली से सम्बंधित मूल वाद को विड्रो किया जा चुका है। अतः इस प्रकरण प्रार्थना पत्र को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रह गया। इस प्रकरण प्रा.पत्र को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद प्रति दाखिल दफ्तर हो।

[illegible]
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़